



INDRAPRASTHA GAS LIMITED

(A Joint Venture of GAIL (India) Ltd., BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

Ref.: IGL/PIPELINE/EAST/UP/HAPUR/FOREST/17

Date:- 03.07.2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
हापुड़ वन प्रभाग,
हापुड़,
उत्तर प्रदेश।

विषय: जनपद हापुड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 (नई संख्या-09) (दिल्ली-लखनऊ रोड) के कि.मी. 34.00 से कि.मी. 49.80 तक कुल लम्बाई 15.80 कि.मी. एवं 0.7900 हे० तक सड़क के किनारे पर भूमिगत 12" तथा 125 एमएम (5") व्यास की कार्बन स्टील तथा एम०डी०पी०ई० गैस पाइपलाइन एवं इसके साथ 50 एमएम (2") व्यास की डक्ट बिछाए जाने हेतु अनुमति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में। ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Pipeline/53780/2020, dated 05/11/2020।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक संख्या - 3794/14-1, दिनांक हापुड़, 05-06-2021 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ०प्र० शासन, का पत्रांक संख्या - पी-77/81-2-2021-800(73)/2021 दिनांक- 08.04.2021।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में बिन्दुवार निस्तारण:-

क्रमांक	अनुपालन आख्या	अनुपालन आख्या का निस्तारण
1	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
2	सी०एन०जी०/ पी०एन०जी० पाइप लाइन / मार्गों / सड़को / वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।	याचक विभाग द्वारा सी०एन०जी०/पी०एन०जी० पाइप लाइन / मार्गों/सड़को/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
3	सी०एन०जी०/ पी०एन०जी० पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेंच की साइज की गहराई 2.0 मीटर और चौड़ाई 1.0 मीटर से अधिक न होगी।	याचक विभाग द्वारा सी०एन०जी०/ पी०एन०जी० पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेंच की साइज की गहराई 2.0 मीटर और चौड़ाई 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	याचक विभाग द्वारा खोदी गयी ट्रेंच/पिट को भर कर कम्पैक्ट कर दिया जायेगा जिससे कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो इसका पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
5	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	याचक विभाग द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	याचक विभाग द्वारा वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में लिखित सहमति दी जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	याचक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग से अनुमति ली जायेगी इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

(Signature)
Sr. Vice President (Projects)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
"IGL BHAWAN", PLOT NO. 4,
COMMUNITY CENTRE, SECTOR-9, R.K. PU
NEW DELHI-110 022

IGL Bhawan, Plot No. 4, Community Centre, R.K. Puram, Sector - 9, New Delhi-110022

Phone : 46074607 Fax : 26171863 Website : www.iglonline.net

CIN : L23201DL1998PLC097614

An ISO 9001:2008, ISO 14001 : 2004, OHSAS 18001 : 2007 Certified Organisation



INDRAPRASTHA GAS LIMITED

8	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा।	याचक विभाग द्वारा भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं लिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
9	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या -566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0, क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority), में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	याचक विभाग द्वारा, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, हाउसिंग, उ0प्र0, के पत्र सं0 - 3794/14-1, दिनांक हाउसिंग, 05-06-2021 के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित हो रही 0.7900 हे0 संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशी रु 4,94,540/- (चार लाख चौरानवे हजार पांच सौ चालीस रुपये मात्र) E-Payment Portal के माध्यम से दिनांक 28.06.2021 को जमा करा दी गयी है तथा ऑन-लाइन चालान की प्रति संलग्न है।
10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	याचक विभाग द्वारा भू-स्वामित्व वाले विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
11	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	याचक विभाग के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
12	भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02.12.2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरण अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।	आवश्यकता नहीं है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रक्रियाधीन हैं।
14	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।	याचक विभाग द्वारा भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र कम्पनी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

Sr. Vice President (Products)

 INDRAPRASTHA GAS LIMITED

 "IGL BHAWAN", PLOT NO. 4,

 COMMUNITY CENTRE, SECTOR-9, R.K. PURAM

 NEW DELHI-110 022



INDRAPRASTHA GAS LIMITED

15	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
16	समस्त वैधानिक/प्रशानिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा समस्त वैधानिक/प्रशानिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
17	परियोजना में 12 इंच (300 एमएम) गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, हापुड़, उ0प्र0, के पत्र सं0 - 3794/14-1, दिनांक हापुड़, 05-06-2021 के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित हो रही 0.7900 हे0 संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशी रु 4,94,540/- (चार लाख चौरानवे हजार पांच सौ चालीस मात्र) E-Payment Portal के माध्यम से दिनांक 28.06.2021 को जमा करा दी गयी है तथा ऑन-लाइन चालान की प्रति संलग्न है।
18	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार हैं:-	संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से
18 (i)	सी0एन0जी0/गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियां, जो लगातार गैस पाइप लाइन बिछाती हैं तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अन्तर्गहरीय, शहर से ग्रामीण, अन्तर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है, उस कम्पनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत लागू रहेगी।	याचक विभाग द्वारा उ0 प्र0 शासन की पत्र सं0- जी0आई0-196/14-2-2010-1017/10 दिनांक 02.07.2010 एवं शासनादेश दिनांक 07.01.2011 के अनुपालन में जनपद गाजियाबाद में किसी एक स्थान पर कुल 20 कि.मी. तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु रु0 93,60,000/- (तिरानवे लाख साठ हजार मात्र) ड्रॉफ्ट सं0 017022 (रु 90,00,000/-) एवं 017024 (रु 3,60,000/-) दिनांक 07.07.2010 को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग गाजियाबाद में जमा करा दिया गया है जिसकी प्रति संलग्न है।
18 (ii)	ऐसी कम्पनियां, जो गैस पाइप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाती हैं अर्थात् जिसका दायरा एक शहर होता है, उस कम्पनी को भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत सामान्यतया दुगुने अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 5 वर्ष तक के रख-रखाव के लिये निर्देशित धनराशि के समतुल्य धनराशि अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जायेगा। इस धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जायेगा।	याचक विभाग, सी0एन0जी0/पी0एन0जी0 गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनी है जो लगातार गैस पाइप लाइन बिछाती हैं तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अन्तर्गहरीय, शहर से ग्रामीण, अन्तर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश है। अतः लागू नहीं होता है।


 Sr. Vice President (Projects)
 INDRAPRASTHA GAS LIMITED
 "IGL BHAWAN", PLOT NO. 4,
 COMMUNITY CENTRE, SECTOR-9, R.K. PURAM
 NEW DELHI-110 022



INDRAPRASTHA GAS LIMITED

19	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा प्रस्ताव के साथ वचनबद्धता संलग्न है।
बिन्दू सं0 - 3	यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि सैद्धांतिक स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के पास गैस पाइप लाईन बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा इस कार्य के लिये उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो। उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान किया जायेगा। प्रश्नगत आदेश मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दू पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।	याचक विभाग के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है। प्रस्ताव के साथ सुसंगत प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त मार्ग की अनुमति जारी करने की कृपा करे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।

कृते इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

[Signature]
Sr. Vice President (Projects)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
"IGL BHAWAN", NO. 4,
COMMUNITY CENTRE, SECTOR-9, R.K. PURAM
NEW DELHI-110 022



INDRAPRASTHA GAS LIMITED

(A Joint Venture of GAIL (India) Ltd., BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

जनपद हापुड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 (नई संख्या-09) (दिल्ली-लखनऊ रोड) के कि.मी. 34.00 से कि.मी. 49.80 तक कुल लम्बाई 15.80 कि.मी. एवं 0.7900 हे० तक सड़क के किनारे पर भूमिगत 12" तथा 125 एमएम (5") व्यास की कार्बन स्टील तथा एम०डी०पी०ई० गैस पाइपलाइन एवं इसके साथ 50 एमएम (2") व्यास की डक्ट बिछाए जाने हेतु 0.7900 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/53780/2020, dated 05/11/2020।

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-1

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य के दौरान किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।

CS

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग
हापुड़

कृते इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Sr. Vice President (Projects)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
"IGL BHAWAN", PLOT NO. 4,
COMMUNITY CENTRE, SECTOR-9, R.K. PURAM
NEW DELHI-110 022

IGL Bhawan, Plot No. 4, Community Centre, R.K. Puram, Sector - 9, New Delhi-110 022

Phone : 46074607 Fax : 26171863 Website : www.iglonline.net

CIN : L23201DL1998PLC097614

An ISO 9001:2008, ISO 14001 : 2004, OHSAS 18001 : 2007 Certified Organisation



INDRAPRASTHA GAS LIMITED

(A Joint Venture of GAIL (India) Ltd., BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

जनपद हापुड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 (नई संख्या-09) (दिल्ली-लखनऊ रोड) के कि.मी. 34.00 से कि.मी. 49.80 तक कुल लम्बाई 15.80 कि.मी. एवं 0.7900 हे० तक सड़क के किनारे पर भूमिगत 12" तथा 125 एमएम (5") व्यास की कार्बन स्टील तथा एम०डी०पी०ई० गैस पाइपलाइन एवं इसके साथ 50 एमएम (2") व्यास की डक्ट बिछाए जाने हेतु 0.7900 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/53780/2020, dated 05/11/2020।

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-2

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि सी०एन०जी०/पी०एन०जी० पाइप लाइन / मार्गों/सड़को/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछायी जायेगी।

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग
हापुड़

कृते इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AJAI TYAGI
Sr. Vice President (Projects)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
"IGL BHAWAN", PLOT NO. 4,
COMMUNITY CENTRE, SECTOR-9, R.K. PURAM
NEW DELHI-110 022

IGL Bhawan, Plot No. 4, Community Centre, R.K. Puram, Sector - 9, New Delhi-110 022

Phone : 46074607 Fax : 26171863 Website : www.iglonline.net

CIN : L23201DL1998PLC097614

An ISO 9001:2008, ISO 14001 : 2004, OHSAS 18001 : 2007 Certified Organisation



INDRAPRASTHA GAS LIMITED

(A Joint Venture of GAIL (India) Ltd., BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

जनपद हापुड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 (नई संख्या-09) (दिल्ली-लखनऊ रोड) के कि.मी. 34.00 से कि.मी. 49.80 तक कुल लम्बाई 15.80 कि.मी. एवं 0.7900 हे० तक सड़क के किनारे पर भूमिगत 12" तथा 125 एमएम (5") व्यास की कार्बन स्टील तथा एम०डी०पी०ई० गैस पाइपलाइन एवं इसके साथ 50 एमएम (2") व्यास की डक्ट बिछाए जाने हेतु 0.7900 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/53780/2020, dated 05/11/2020।

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-3

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि सी०एन०जी०/पी०एन०जी० पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेंच की साइज की गहराई 2.0 मीटर और चौड़ाई 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगी।

C-5

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग
हापुड़

कृते इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
Sr. V. P. S. (Projects)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
COMMUNITY CENTRE, PLOT NO. 4,
SECTOR-9, R.K. PURAM
NEW DELHI-110 022

IGL Bhawan, Plot No. 4, Community Centre, R.K. Puram, Sector - 9, New Delhi-110 022

Phone : 46074607 Fax : 26171863 Website : www.iglonline.net

CIN : L23201DL1998PLC097614

An ISO 9001:2008, ISO 14001 : 2004, OHSAS 18001 : 2007 Certified Organisation



INDRAPRASTHA GAS LIMITED

(A Joint Venture of GAIL (India) Ltd., BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

जनपद हापुड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 (नई संख्या-09) (दिल्ली-लखनऊ रोड) के कि.मी. 34.00 से कि.मी. 49.80 तक कुल लम्बाई 15.80 कि.मी. एवं 0.7900 हे० तक सड़क के किनारे पर भूमिगत 12" तथा 125 एमएम (5") व्यास की कार्बन स्टील तथा एम०डी०पी०ई० गैस पाइपलाइन एवं इसके साथ 50 एमएम (2") व्यास की डक्ट बिछाए जाने हेतु 0.7900 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/53780/2020, dated 05/11/2020 |

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-4

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि खोदी गयी ट्रेन्च/पिट को भर कर कम्पेक्ट कर दिया जायेगा जिससे कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो इसका पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।

C-9

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग
हापुड़

कृते इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Sr. Vice President (Projects)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
"IGL BHAWAN", PLOT NO. 4,
COMMUNITY CENTRE, SECTOR-9, R.K. PURAM
NEW DELHI-110 022

IGL Bhawan, Plot No. 4, Community Centre, R.K. Puram, Sector - 9, New Delhi-110 022

Phone : 46074607 Fax : 26171863 Website : www.iglonline.net

CIN : L23201DL1998PLC097614

An ISO 9001:2008, ISO 14001 : 2004, OHSAS 18001 : 2007 Certified Organisation



INDRAPRASTHA GAS LIMITED

(A Joint Venture of GAIL (India) Ltd., BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

जनपद हापुड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 (नई संख्या-09) (दिल्ली-लखनऊ रोड) के कि.मी. 34.00 से कि.मी. 49.80 तक कुल लम्बाई 15.80 कि.मी. एवं 0.7900 हे० तक सड़क के किनारे पर भूमिगत 12" तथा 125 एमएम (5") व्यास की कार्बन स्टील तथा एम०डी०पी०ई० गैस पाइपलाइन एवं इसके साथ 50 एमएम (2") व्यास की डक्ट बिछाए जाने हेतु 0.7900 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/53780/2020, dated 05/11/2020।

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-5

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।

C-5

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग
हापुड़

कृते इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

Sr. Vice President (Projects)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
"IGL BHAWAN", PLOT NO. 4,
COMMUNITY CENTRE, SECTOR-9, R.K. PURAM
NEW DELHI-110 022

IGL Bhawan, Plot No. 4, Community Centre, R.K. Puram, Sector - 9, New Delhi-110 022

Phone : 46074607 Fax : 26171863 Website : www.iglonline.net

CIN : L23201DL1998PLC097614

An ISO 9001:2008, ISO 14001 : 2004, OHSAS 18001 : 2007 Certified Organisation



INDRAPRASTHA GAS LIMITED

(A Joint Venture of GAIL (India) Ltd., BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

जनपद हापुड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 (नई संख्या-09) (दिल्ली-लखनऊ रोड) के कि.मी. 34.00 से कि.मी. 49.80 तक कुल लम्बाई 15.80 कि.मी. एवं 0.7900 हे० तक सड़क के किनारे पर भूमिगत 12" तथा 125 एमएम (5") व्यास की कार्बन स्टील तथा एम०डी०पी०ई० गैस पाइपलाइन एवं इसके साथ 50 एमएम (2") व्यास की डक्ट बिछाए जाने हेतु 0.7900 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/53780/2020, dated 05/11/2020 |

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-6

याचक विभाग द्वारा वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में वचनबद्धता दी जाती है।

C.S

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग
हापुड़

कृते इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

Sr. Vice President (Projects)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
"IGL BHAWAN", LOT NO. 4,
COMMUNITY CENTRE, SECTOR 9, R.K. PURAM

IGL Bhawan, Plot No. 4, Community Centre, R.K. Puram, Sector - 9, New Delhi-110 022

Phone : 46074607 Fax : 26171863 Website : www.iglonline.net

CIN : L23201DL1998PLC097614

An ISO 9001:2008, ISO 14001 : 2004, OHSAS 18001 : 2007 Certified Organisation



INDRAPRASTHA GAS LIMITED

(A Joint Venture of GAIL (India) Ltd., BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

जनपद हापुड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 (नई संख्या-09) (दिल्ली-लखनऊ रोड) के कि.मी. 34.00 से कि.मी. 49.80 तक कुल लम्बाई 15.80 कि.मी. एवं 0.7900 हे० तक सड़क के किनारे पर भूमिगत 12" तथा 125 एमएम (5") व्यास की कार्बन स्टील तथा एम०डी०पी०ई० गैस पाइपलाइन एवं इसके साथ 50 एमएम (2") व्यास की डक्ट बिछाए जाने हेतु 0.7900 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Pipeline/53780/2020, dated 05/11/2020 |

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-7

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग से अनुमति ली जायेगी।

CS

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग
हापुड़

कृते इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
PLOT NO. 4



INDRAPRASTHA GAS LIMITED

(A Joint Venture of GAIL (India) Ltd., BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

जनपद हापुड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 (नई संख्या-09) (दिल्ली-लखनऊ रोड) के कि.मी. 34.00 से कि.मी. 49.80 तक कुल लम्बाई 15.80 कि.मी. एवं 0.7900 हे० तक सड़क के किनारे पर भूमिगत 12" तथा 125 एमएम (5") व्यास की कार्बन स्टील तथा एम०डी०पी०ई० गैस पाइपलाइन एवं इसके साथ 50 एमएम (2") व्यास की डक्ट बिछाए जाने हेतु 0.7900 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/53780/2020, dated 05/11/2020।

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-8

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं लिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा।

C-S

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग
हापुड़

कृते इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Sr. Vice President (Projects)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
"IGL BHAWAN", PLOT NO. 4
COMMUNITY CENTRE, SECTOR-9, R.K. PURAM
NEW DELHI-110 022

IGL Bhawan, Plot No. 4, Community Centre, R.K. Puram, Sector - 9, New Delhi-110 022

Phone : 46074607 Fax : 26171863 Website : www.iglonline.net

CIN : L23201DL1998PLC097614

An ISO 9001:2008, ISO 14001 : 2004, OHSAS 18001 : 2007 Certified Organisation



INDRAPRASTHA GAS LIMITED

(A Joint Venture of GAIL (India) Ltd., BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

जनपद हापुड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 (नई संख्या-09) (दिल्ली-लखनऊ रोड) के कि.मी. 34.00 से कि.मी. 49.80 तक कुल लम्बाई 15.80 कि.मी. एवं 0.7900 हे० तक सड़क के किनारे पर भूमिगत 12" तथा 125 एमएम (5") व्यास की कार्बन स्टील तथा एम०डी०पी०ई० गैस पाइपलाइन एवं इसके साथ 50 एमएम (2") व्यास की डक्ट बिछाए जाने हेतु 0.7900 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/53780/2020, dated 05/11/2020 |

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-16

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि समस्त वैधानिक/प्रशानिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

CS

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग
हापुड़

कृते इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

अधिकृत
Sr. Vice President (Projects)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
"IGL BHAWAN", PLOT NO. 4
COMMUNITY CENTRE, SECTOR-9
NEW DELHI-110 022

IGL Bhawan, Plot No. 4, Community Centre, R.K. Puram, Sector - 9, New Delhi-110 022

Phone : 46074607 Fax : 26171863 Website : www.iglonline.net

CIN : L23201DL1998PLC097614

An ISO 9001:2008, ISO 14001 : 2004, OHSAS 18001 : 2007 Certified Organisation

प्रेषक,

संजय सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

वन अनुभाग-2

संख्या-

114-2-2010

लखनऊ दिनांक 07 जनवरी 2011

विषय: सी0एन0जी0/गैस पाइप लाइन बिछाने पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने के शासनादेश में संशोधन।

उपरोक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या-689/14-2-2009, दिनांक 25-6-2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत मामले में विचारोपरान्त उक्त शासनादेश संख्या-689/14-2-2009, दिनांक 25-6-2010 में निम्नवत् संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1)- सी0एन0जी0/गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियां, जो लगातार गैस पाइप लाइन बिछाती है तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अन्तर्गहरीय, शहर से ग्रामीण, अन्तर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है, उस कम्पनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत् लागू रहेगी।

(2)- ऐसी कम्पनियां, जो गैस पाइप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाती है अर्थात् जिसका जगहा एक शहर होता है, इस कम्पनी को भारत सरकार के द्वारा भारत प्रतीकृति में वर्णित क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के अन्तर्गत आना न्यूनतम। दुसरे अर्थगत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक के रख-रखाव के लिये निर्देशित धनराशि के समतुल्य धनराशि अतिरिक्त रूप से उपलब्ध करने के लिये राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जायेगा। इस धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार उक्त संदर्भित शासनादेश संशोधित पढ़ा जाय।

भवदीय,

(संजय सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

- 1- समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय सिंह)

Sr. Vice President (Projects)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
"IGL BHAWAN", PLOT NO. 4,
COMMUNITY CENTRE, SECTOR-9, R.K. PURAM
NEW DELHI-110 022

(58)

igl

INDRAPRASTHA GAS LIMITED

(A Joint Venture of GAIL (India) Ltd., BPCCL & Govt. of NCT of Delhi)

Ref: IGL/PNG/STEEL/FOREST/ 1776

Date: 7 July 2010

To,

District Forest Officer
Sec 23 Sanjay Nagar
Ghaziabad

Kind Attn: Mr. Yashpal Malik

Subject: Laying of 12"/16"/18", 26.6 Km Gas Pipeline from GAIL SV-1
(Behind Dasna Jail) on Dadri Bawana Pipeline to GAIL SV-1 at Ghaziabad

Dear Sir,

This is reference to your letter No 74/22-1 Dated 3-July-2010 for planting three row of trees in twenty Kilometer and administrative cost @ 4 % for planting the trees for amount of Rs.93,60,000/- (Rupees Ninety Three Lacs Sixty Thousand Only).

Enclosed please find demand draft No.017022 dated 7-July-2010 of Rs.90,00,000/- for planting three row of trees in twenty Kilometer and draft No.017024 dated 7-July 2010 of Rs.3,60,000/- against administrative cost @ 4 % in favour of "Divisional Director, Social Forestry Division, Ghaziabad.

We therefore request you to provide the permission for laying the pipeline in order to commence the project of national & environmental importance at the earliest.

Thanking you and assuring you our best cooperation at all times.

Thanking You,

Yours Sincerely,

Vikas Bansal
Chief Manager

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग
हापुड़

Sr. Vice President (Projects)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
"IGL BHAWAN", PLOT NO. 4,
COMMUNITY CENTRE, SECTOR-9, R.K. PURAM
NEW DELHI-110 022

Encl: Demand draft No.017022 dated 7-July-2010 of Rs.90,00,000/-

64

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद
पत्रांक : 74 / 22-7 दिनांक गाजियाबाद 3 जुलाई, 2010

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक,
इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड,
आई0सी0एल0 भवन,
प्लॉट नं0-4, आर0के0 पुरम,
सेक्टर-9, नई दिल्ली।

विषय: गाजियाबाद में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा मोहन नगर चौड़ाहे से महामाया स्टेडियम तक तथा हापुड़ चुंगी से डासना पुलिस चेक पोस्ट तक गैस पाइप लाइन डालने हेतु 0.872 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

संदर्भ: उ0प्र0 शासन की पत्र सं0-जी0आई0-196/14-2-2010-1017/10 दिनांक 02.07.2010

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित शासनदेश जो मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ को सम्बोधित तथा इस कार्यालय तथा आपको भी पृष्ठांकित किया गया है के बिन्दु सं0-15 के क्रम में प्रस्तावक विभाग इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 कि0मी0 3 लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा। उक्त के क्रम में 20 कि0मी0 3 लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु निम्नानुसार धनराशि का ड्राफ्ट प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद के नाम से भेजने का कष्ट करें ताकि उक्त धनराशि से वृक्षारोपण कराया जा सके। धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0सं0	विवरण	दर प्रति कि0मी0	बांछित धनराशि
1	20 कि0मी0 3 लाइनों में वृक्षारोपण	रु0 4,50,000/-	रु0 90,00,000/-
2	प्रशासनिक व्यय	4 प्रादेशत	रु0 3,60,000/-
कुल योग :-			रु0 93,60,000/-

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग
हापुड़

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद

AJAITYA
Sr. Vice President
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
"IGL BHAWAN", PLOT NO. 4,
COMMUNITY CENTRE, SECTOR-9, R.K. PURAM
NEW DELHI-110 022
189

AGENCY COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 07-06-2021	
Agency Name.	INDRAPRASTHA. GAS LTD.
Application No.	7253780267
State Code.	DL
Address.	IGL Bhawan, Plot No. - 4, Community Centre, R. K. Puram, Sector - 9, New Delhi South West
Amount(in Rs)	494540/-
Amount in Words :Four Lakh Ninety-Four Thousand Five Hundred and Forty Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUP7253780267
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0534498
This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

BANK COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 07-06-2021	
Agency Name.	INDRAPRASTHA. GAS LTD.
Application No.	7253780267
State Code.	DL
Address:	IGL Bhawan, Plot No. - 4, Community Centre, R. K. Puram, Sector - 9, New Delhi South West
Amount(in Rs)	494540/-
Amount in Words :Four Lakh Ninety-Four Thousand Five Hundred and Forty Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUP7253780267
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0534498
This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: ubicampa@unionbankofindia.com

Print

Back

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग
हापुड़

AJA PRACI
Sr. Vice President (Projects)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
"IGL BHAWAN", PLOT NO. 4,
COMMUNITY CENTRE, SECTOR-9, R.K. PURAM
NEW DELHI-110 022

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Sno.	Proposal Detail	Application No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter	
1	PIPLINE Pipeline: 53760/2020 Indraprastha Gas Limited Project for Laying of 12" NB Carbon Steel Gas Pipeline, 125 mm NDEE & 50 mm Duct in same trench along NH - 24 (New NH - 9) (Delhi - Lucknow Road) from Km. 34.00 to Km. 49.500. Total Km. 15.50 B. 0.7500 Ha. in Forest Division Hapur, District Hapur UP.	PIPELINE53760200267	7253760267	03 Apr 2021	CA: 0/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 444540/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 444540/-	Addl CA: 0/- CAT: 0/- Addl PA: 0/- Other Charges: 0/-	 Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 07 Jun 2021 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 07 Jun 2021 Transaction Date : 08 Jun 2021	Demand Letter Generated Challan
2	PIPLINE Pipeline: 54004/2021 Indraprastha Gas Limited Project for Laying of 12" (300 mm) Carbon Steel Gas Pipeline along NH - 19 (Karnapur - Prayagraj Road) from Km. 486.00 to Km. 507.500. Total Km. 21.50 & 0.6450 Ha. in Social Forestry Division Karnapur Nagar, District Karnapur Nagar UP.	PIPELINE54004000267	7254004027	03 Mar 2021	CA: 0/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 413770/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 413770/-	Addl CA: 0/- CAT: 0/- Addl PA: 0/- Other Charges: 0/-	 Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 08 Apr 2021 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 08 Apr 2021 Transaction Date : 12 Apr 2021	Demand Letter Generated Challan

Type here to search

C-5

प्रभागीय वनाधिकारी
 हापुड वन प्रभाग
 हापुड

AJAITY KGI
 Sr. Vice President (Projects)
 INDRAPRASTHA GAS LIMITED
 "IGL BHAWAN", PLOT NO. 4,
 COMMUNITY CENTRE, SECTOR-9, R.K. PURAM
 NEW DELHI-110 022